न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, रंका।

अर्जेन्ट वाद सं0 –28 / 2023 **धारा– 144 द0प्र0स0**

शिव कुमार यादव बनाम रामचन्द्र यादव वगैरह

आदेश

आदेश की क्र0 सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख सहित
19/8/23	अभिलेख उपस्थापित।	

यह वाद आवेदक के आवेदन के आधार पर यह प्रकिया प्रारंभ किया गया है। भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

ग्राम	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा	चौहदी			
				उ0	द0	पु0	प0
खुर्री	54	316	0.81 ए0	रामेश्वर प्रसाद सिंह एवं राजेन्द्र यादव	शिवलाल साव	नदी	रोड़

उभय पक्षकारों के द्वारा कारण पृच्छा समर्पित नहीं किया गया है। ग्राम– खुर्री के खाता सं0– 54 के दशई महतों पिता– रामनंदन महतो जाति अहीर के नामें हाल सर्वे में दर्ज है। इस खाता के अन्तर्गत प्लॉट सं0– 152 में रकबा– 0.66 ए0 प्लॉट सं0– 316 में रकबा– 1.62 ए0 प्लॉट सं0– 317 में रकबा 0.07 ए0 प्लॉट सं0– 464 में रकबा– 0 32 ए0 प्लॉट सं0– 469 में रकबा– 0.16 ए0 प्लॉट सं0– 459 में रकबा– 0.55 ए0 प्लॉट सं0– 565 में रकबा– 1.42 ए0 प्लॉट सं0– 509 में रकबा– 0.61 ए0 प्लॉट सं0– .... में रकबा– 0.09 ए0 कुल रकबा– 5.50 ए0 हाल सर्वे खतियान में दर्ज है। यह कि खतियानी रैयत स्व0 दशई महतों पिता– रामनंदन महतो के दो पुत्र 1. चामा यादव व 2. शिव कुमार यादव हुए। सम्पूर्ण भूमि जो दशई महतों की ही है। दोनों पुत्रों को आधा–आधा हिस्सा बंट गया है। प्लॉट सं0– 316 क खतियानी रकबा– 1.62 ए0 है। जिसमें 0.81 ए0 चामा महतों को प्राप्त हुआ। जिसमें चामा महतों के पॉच पुत्र 1. रामचन्द्र यादव 2. महेन्द्र यादव 3. शिव यादव 4. मदन यादव 5. पुनुलाल यादव है। जो 0.81 ए0 रकबा के हकदार है एवं 0.81 ए0 शिव कुमार यादव को प्राप्त हो गया था। अतः वाद की धारा 144 द0प्र0स0 की समयावधि 60 दिन पूर्ण हो चुकी है। इसलिए वाद की कार्रवाही को समाप्त की जाती है।

17.08.23

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
रंका।

Digitally signed by RAM NARAYAN SINGH
Date: 2023.10.13 12:58:43 +05:30
Location: 10.93.21.244